भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश

महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन नूंह ने भी अवगत कराया है कि दिनांक 26.11.2020 को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी व अन्य यूनियनो के प्रतिनिधि कर्मचारियो ने 1 दिन की हडताल का आहवान किया है। जिसके मध्य नजर ये कर्मचारी बस अडडे के गेट पर बसो की आवाजाही को अवरूद्ध करने का प्रयास कर सकते है। अतः आपसे अनुरोध है कि आहवान को देखते हुए परिवहन सेवा कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बस स्टैण्ड नूंह, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना व तावडू में धारा 144 लगाने व डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल कर्मशाला एवं बस स्टैण्ड नूंह/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना व तावडू में दिनांक 25.11.2020 सांय से दिनांक 26.11.2020 सांय तक मुहैया कराने अनुरोध किया है, ताकि कर्मचारी तालमेल कमेटी व अन्य यूनियनो द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न न कर सकें व परिवहन सेवा जनहित में सुचारू रूप से चलाई जा सकें तथा सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा की जा सके।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी व परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करता हूँ तथा यह जन सामान्य को सम्बोधित है।

अतः दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत मैं, धीरेन्द्र खड़गटा, भा0प्र0से0, जिलाधीश, नूंह तुरन्त प्रभाव से जिला नूंह में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतू प्रत्येक बस स्टैण्ड की 100 मीटर की परीधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर दिनांक 25.11.2020 सायं से 26.11.2020 सायं तक प्रतिबन्ध लगाता हूं।

इस आदेश का जिला नूहं में जिला लोक सम्पर्क विभाग की वेन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचहेरी, उप मण्डल कचहेरी, तहसील कचेहरी तथा सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस स्टेशनों, बस स्टेण्डों पर नाटिस चस्पा करके प्रचार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सपठित आपदा प्रबन्धन अधीनियम, 2005 के तहत दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किये गयें।

Seal of the Court District Magistrate Nuh

जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं।

पृ0 क्रमांक 875 /एम0बी0 दिनांक 24.11.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव,राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा चण्डीगढ।
4. आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी रेंज, रेवाडी।
6. जिला सत्र एवं न्यायाधीश, नूहँ।
7. हरियाणा से सभी जिला मजिस्ट्रेट।
8. पुलिस अधीक्षक, नूहँ।
9. अतिरिक्त जिलाधीश, नूहँ।
10. उपमण्डल मजिस्ट्रेट, नूहँ/तावडू/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना।
11. जिला राजस्व अधिकारी, नूहँ।
12. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूहँ।
13. महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, नूंह।
14. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, नूहँ।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, नूंह।
16. जिला सूचना अधिकारी, (एन0आई0सी0) नूहं।
17. जिला के सभी तहसीलदार/उप तहसीलदार/समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
18. जिला के समस्त सचिव, नगरपालिका।
19. निजि सहायक, उपायुक्त, स्टेनो नगराधीश।

जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं।